2010:CGHC:10896

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील संख्या 385/2008

अपीलार्थीगण **रामनिवास और अन्य**

बनाम

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री एम.डी. धोते, अपीलार्थी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता।

श्री प्रवीण धुरंधर, अपीलार्थी क्रमांक 2 की ओर से अधिवक्ता।

श्री नीरज मेहता, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

दांडिक अपील संख्या 575/2008

अपीलार्थी **कृष्ण मुरारी उर्फ बबलू उर्फ डब्बू**

बनाम

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य**

श्री अरविंद दुबे, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री नीरज मेहता, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

दांडिक अपील संख्या 589/2008

अपीलार्थी **राजेश सिंह उर्फ लोहा सिंह**

बनाम

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य**

सुश्री शर्मिला सिंघल और श्री संजय अग्रवाल,अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री नीरज मेहता, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील।

निर्णय

(05.03.2010)

चूँकि उपर्युक्त तीनों अपीलें एक ही निर्णय दिनांक 14.02.2008, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 370/1999 में पारित किया गया था, से उत्पन्न हुई हैं; अतः इनका निस्तारण इस सामान्य निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है:

अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 324/34 तथा 506-II के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा धारा 376 के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड, धारा 324/34 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 506-II के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त/अपीलार्थी राजेश सिंह (दांडिक अपील संख्या 589/2008) को आयुध

अधिनियम की धारा 25(1-B)(B) के अंतर्गत भी दोषसिद्ध किया गया है तथा दो वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, साथ ही चूक की दशा में निर्धारित दंडादेश प्रदान किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त कथन यह है कि दिनांक 25-06-1999 को रात्रि लगभग 11:15 बजे अभियोत्री (अभियोजन साक्षी क्र.-1), जिसकी आयु लगभग 24 वर्ष थी, द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 24-06-1999 को रात्रि लगभग 9:30 बजे वह अपने पति के साथ झाड़–फूंक करने वाले 'झाड़ फूक वाले' से उपचार कराकर साइकिल से लौट रही थी। राजीव नगर और गौतम नगर के मध्य स्थित एक नाले के समीप पहुँचने पर कुछ लड़कों ने उसके पति को रुकने के लिए कहा। जब उसका पति रुका तो अभियोत्री साइकिल से उतर गई। तभी तीन–चार लड़के वहाँ आ गए और उसके पति के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करने लगे। जब अभियोत्री चिल्लाने का प्रयास करने लगी, तब दो लड़कों ने उसका मुँह दबा दिया, उसे कुछ दूरी तक ले गए और दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ तीन बार जबरन दुष्कर्म किया। बताया गया कि जब ये दोनों लड़के अपराध कर रहे थे, उसी समय अन्य 3–4 लड़के उसके पति की मारपीट कर रहे थे। यह भी आरोप है कि गौतम नगर के कुछ लोग वहाँ पहुँचने पर सभी लड़के घटनास्थल से भाग गए। मारपीट के कारण उसके पति को बाएँ आंख तथा दाएँ हाथ की उँगलियों में चोटें आईं। अभियोत्री ने यह भी कहा कि वह लड़कों को नाम से नहीं जानती, परन्तु देखने पर पहचान सकती है। अभियोत्री के अनुसार, अभियुक्तों द्वारा दी गई धमकी के कारण उसी दिन रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा सकी, परन्तु मोहल्ले के लोगों की सलाह पर अगले दिन दिनांक 25-06-1999 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोत्री का कथन 26-06-1999 को तथा उसके पति संतोष का कथन 25-06-1999 को ही दर्ज किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण-डायरी एवं चालान सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्त-अपीलार्थीगण के अपराध को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन द्वारा कुल 14 साक्षियों का परीक्षण किया गया। अपीलार्थीगण के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने उनके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया तथा प्रकरण में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक् किया है।

4. पक्षकारों को सुनने के बाद विचारण न्यायालय ने उपरोक्त बताए गए अपराध के लिए अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया और दंडादेश दिया। हालांकि, बाकी दो अभियुक्त हसन अली और विजय फरार थे, इसलिए यह निर्णय उन पर लागू नहीं होगा।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख में मौजूद सामग्रीयों को देखा, जिसमें चुनौती किए गए निर्णयों को भी शामिल किया गया।

6. अभियुक्तों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी हुई क्योंकि घटना दिनांक 24.6.1999 को रात 9.30 बजे हुई बताई गई, जबकि रिपोर्ट दिनांक 25.6.1999 को रात करीब 11.15 बजे दर्ज की गई, यानी उसके 26 घंटे से ज़्यादा समय बाद। उन्होंने आगे कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) में अपीलार्थीगण के नाम नहीं थे, जबकि अभियोत्री (अभियोजन साक्षी क्र.-1) और उसके पति संतोष (अभियोजन साक्षी क्र.-2) के प्रकरण डायरी बयानों में उनके नाम थे। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के अनुसार, यह हैरानी की बात है कि जब कोई परीक्षणात्मक पहचान कार्यवाही नहीं हुई तो प्रकरण डायरी बयानों में अपीलार्थीगण के नाम कैसे लिखे गए। यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोत्री ने आरोप लगाया है कि दो अनजान लोगों ने उसके साथ तीन बार बलात्कार किया, जबकि न्यायालय में दिए गए बयान में उसने अपने बयान में सुधार किया और कहा कि सभी छः लोगों ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया था। यह तर्क दिया गया है कि अभियोत्री (अभियोजन साक्षी क्र.-1) और उसके पति संतोष (अभियोजन साक्षी क्र.-2) के बयानों में कई अंतर हैं। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के अनुसार, अभियोत्री का बयान इतना अजीब है कि उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस समय छः लोगों ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया, उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसे कोई अंदरूनी या बाहरी चोट न लगना उसकी बताई पूरी कहानी पर शक पैदा करता है। **अपनी दलीलों के समर्थन में, उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों का अवलंब लिया है:**

(i) (1977) 3 SCC 41 (प्रताप मिश्रा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य।

(ii) (2008) 10 SCC 69 (लल्लीराम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य)

(iii) AIR 2009 SC 858 (राजू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य)

ऊपर दिए गए निर्णयों का अवलंब लेते हुए, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने कहा कि अभियोत्री का यह कहना कि उसके साथ छः लोगों ने दो बार ज़बरदस्ती बलात्कार किया, वह भी किसी खुरदरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सतह पर, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं मिली, अभियोत्री के पूरे प्रकरण को भरोसे के लायक नहीं बनाता है और सिर्फ़ उसके सबूतों के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने के हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसे नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता। यह सच है कि बलात्कार से पीड़ित को सबसे ज़्यादा परेशानी और बेइज्ज़ती होती है, लेकिन साथ ही बलात्कार का झूठा आरोप भी अभियुक्त को उतनी ही परेशानी, बेइज्ज़ती और नुकसान पहुँचा सकता है। उनके अनुसार, अभियुक्त को झूठे आरोप में फँसाए जाने की संभावना से भी बचाया जाना चाहिए, खासकर जहाँ बड़ी संख्या में अभियुक्त शामिल हों।

7. दूसरी तरफ, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया और कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है और अगर कोई देरी हुई भी है, तो उसके लिए काफी कारण बताए गए हैं, कि अभियुक्त लोगों की धमकी की वजह से, प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन दर्ज नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि अभियोत्री के बयान में छोटी-मोटी गलतियां और कमियां अभियुक्तों के लिए कोई मदद नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि चूंकि अभियोत्री एक शादीशुदा महिला थी, इसलिए उसके शरीर पर चोट न होने से अभियुक्त/अपीलार्थीगण को कोई फायदा नहीं होगा। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट, जिसमें अभियोत्री के साया पर शुक्राणु की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, अभियोत्री के प्रकरण को काफी समर्थन करती है। उन्होंने **दास्तगीर सब तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 2004 (3) मध्यप्रदेश विधि पत्रिका 154 में प्रतिवेदित"** का अवलंब लिया है। और कहा कि बलात्कार का आरोप साबित करने के लिए अभियोत्री को चोट लगना ज़रूरी नहीं है। अत्यधिक प्रभावी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को देखते हुए चोट न लगना इस नतीजे पर पहुंचने का अकेला आधार नहीं हो सकता कि ऐसा कोई अपराध हुआ ही नहीं था। उन्होंने कहा कि यह सच है कि घटना के समय अभियोत्री 4-5 महीने की गर्भवती थी और उसके साथ छः लोगों ने ढाई घंटे तक दो बार बलात्कार किया, जो अपने आप में अभियुक्त/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है और उसे चोट न लगना अभियोत्री के मामले के लिए खतरनाक नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियोत्री (अभियोजन साक्षी क्र.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना की तारीख को रात करीब 8.30 बजे वह अपने पति के साथ साइकिल पर मंदिर से लौट रही थी और जब वे एक नाले के पास साइकिल से उतरे, तो अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने उन्हें घेर लिया और पीटा भी। उसने कहा है कि तीनों अभियुक्त उसके पति को पीटते रहे, जबकि बाकी तीन उसे घसीटते हुए कुछ दूर ले गए और एक-एक करके उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया और उसके बाद बाकी तीन अभियुक्त भी वहां आ गए और एक-एक करके उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसने यह भी कहा है कि अपीलार्थीगण ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वे उसे जान से मार देंगे। इस गवाह ने कहा है कि घटना के समय वह पूरी तरह से हैरान थी और साफ-साफ नहीं बता सकी कि वे तीन लोग कौन थे जिन्होंने उसे पहले घसीटा और बलात्कार किया। हालांकि, उसने कहा है कि सभी अपीलार्थीगण ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया था। इस गवाह के मुताबिक, उसने शोर मचाया था लेकिन कोई नहीं आया। इस गवाह ने यह भी कहा है कि अभियुक्तों की पिटाई से उसके पति के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई थीं। उसने कहा है कि अभियुक्तों ने उसके पति पर तलवार और डंडे से हमला किया था। उसने कहा है कि घटना के समय अभियुक्त एक-दूसरे को नाम से बुला रहे थे, इसलिए उसने अभियुक्त राजेश का नाम सुना था। उसने कहा है कि देर रात होने की वजह से उसी दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकी। प्रति-परीक्षण में इस गवाह ने कहा है कि घटना तब हुई जब वह मंदिर से लौट रही थी, न कि ओझा के घर से जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है। उसने कहा है कि घटना के समय वह पांच महीने की गर्भवती थी। उसने यह भी कहा है कि घटना की जगह के पास एक खुला मैदान है जहां लोग आराम करने जाते हैं। उसने कहा है कि हालांकि उसने इस घटना के बारे में इलाके के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया था, लेकिन उन्हें खुद इसके बारे में पता चल गया था और वे उसके साथ पुलिस थाना भी गए थे। इस गवाह के मुताबिक, उसे पता नहीं था कि पुलिस ने उसका बयान कब अभिलेख किया। उसके ठीक बाद उसने कहा कि पुलिस ने उसका बयान तुरंत अभिलेख कर लिया था। उसने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय भी उसे अभियुक्तों के नाम नहीं पता थे और इसलिए उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका ज़िक्र नहीं किया। हालांकि, पुलिस द्वारा अभिलेख किए गए बयान में उसने अपने पति के बताने पर अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के नाम बताए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. संतोष (अभियोजन साक्षी क्र.-2) पीड़िता के पति ने कहा है कि घटना की तारीख को वह अपनी पत्नी के साथ साइकिल पर मंदिर से लौट रहा था और जब वे गौतम नगर और राजीव नगर के बीच पड़ने वाले एक नाले के पास पहुँचे, तो अभियुक्तों में से एक राजेश ने उसकी साइकिल पकड़ ली और उसे गाली-गलौज और पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद, दूसरे अभियुक्तों ने भी

उसे पीटा। एक अभियुक्त ने उस पर खंजर से हमला किया जिससे उसकी उंगलियाँ कट गईं। उसने कहा है कि अभियुक्त उसे पीटते हुए गौतम नगर ले गए और फिर वे उसे वापस मंदिर ले आए लेकिन उस समय उसकी पत्नी वहाँ नहीं थी। कुल अभियुक्तों में से एक उसके साथ था जबकि बाकी उसकी पत्नी के साथ यौन संभोग करते थे और इस तरह उन सभी ने एक-एक करके उसके साथ यौन संभोग किया। इसके बाद, वे उसकी पत्नी को उसके पास ले आए और उसे मंदिर में बैठाकर फिर से पीटना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी को राजीव नगर ले गए और एक-एक करके उसके साथ यौन संभोग किया। उसने कहा है कि डर की वजह से उसी दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकी और अगले दिन जब इलाके के लोग उसके पास आए और रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी ताकि अभियुक्त लोग भविष्य में ऐसा कोई जुर्म न दोहरा सकें, तो रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रति-परीक्षण में, इस गवाह ने पहले कहा कि वह और उसकी पत्नी मंदिर गए थे, लेकिन बाद में उसने कहा कि वे ओझा के पास गए थे। उसने आगे कहा कि घटना की तारीख से पहले अभियुक्त लोग उसे नहीं जानते थे। उसके अनुसार, घटना की जगह के पास कोई लाइट नहीं थी और अभियुक्तों ने उसकी पत्नी के साथ ढाई घंटे तक बलात्कार किया। उसने कहा है कि घटना की जगह के पास रामजी शर्मा नाम के एक व्यक्ति का घर था और उस समय वह अपने घर में मौजूद था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. रामजी शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना की तारीख को उसने कुछ दूर से शोर सुना और जब उसने देखा कि कुछ लड़के बाहर खड़े हैं, तो वह वापस आया और दरवाज़ा बंद करके सो गया। हालांकि, इस गवाह को प्रतिकूल साक्षी घोषित कर दिया गया है। डॉ. पी. दानी (अभियोजन साक्षी क्र.-4) जिन्होंने अभियोत्री से पूछताछ की थी, ने अपनी रिपोर्ट अभियोजन द्धारा प्रस्तुत प्रदर्श-5 दी है और कहा है कि जांच के समय अभियोत्री 4-5 महीने की गर्भवती थी। इस गवाह ने कहा है कि अभियोत्री ने उसे बलात्कार की घटना के बारे में नहीं बताया था। इस गवाह के अनुसार, अगर 4-5 महीने की गर्भवती महिला के साथ 5-6 लोग बलात्कार करते हैं, तो गर्भाशय में चोट लगने की संभावना है। इस गवाह ने अभियोत्री के शरीर पर घसीटने का कोई निशान नहीं देखा। रघुनंदन दास (अभियोजन साक्षी क्र.-5) ने अभियोत्री के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और इसलिए उसे प्रतिकूल साक्षी घोषित कर दिया गया है। गणपत (अभियोजन साक्षी क्र.-6) जो अभियुक्त राजेश से खंजर बरामद होने का गवाह है, उसने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उसे प्रतिकूल साक्षी घोषित कर दिया गया है। डॉ. जे.पी. मेश्राम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) जिन्होंने अभियोजन की महिला के पति संतोष की मेडिकल जांच की थी, ने अपनी रिपोर्ट अभियोजन द्धारा प्रस्तुत प्रदर्श-15 में कहा है कि उसके शरीर पर पांच चोटें थीं। डॉ. प्रभात पांडे (अभियोजन साक्षी क्र. -9) जिन्होंने अभियुक्तों की मेडिकल जांच

की थी, ने कहा है कि वे यौन संभोग करने में सक्षम थे। बालक राम ठाकुर (अभियोजन साक्षी क्र.-12) ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और इसलिए उसे प्रतिकूल साक्षी घोषित कर दिया गया है। उप-निरीक्षक भावेश साव (अभियोजन साक्षी क्र.-13) जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी और जांच अधिकारी पी.सी. सोनकर (अभियोजन साक्षी क्र.- 14) ने अभियोजन के प्रकरण का पूरा समर्थन किया है।

11. हालांकि रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट में अभियोत्री के साया और अभियुक्त अनिल, विजय, हसन और मुरारी उर्फ डब्बू के जांघिया पर शुक्राणु पाए गए थे, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि अभियोत्री द्वारा इकट्ठा किया गया नमूना सीरम परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं था। अभियोत्री के बयान से यह स्पष्ट है कि उसमें पर्याप्त विरोधाभास और कमियां हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप है कि जब वह अपने पति के साथ साइकिल पर एक ओझा से इलाज कराकर लौट रही थी, तो अभियुक्तों ने उन्हें रोक लिया, जबकि न्यायालय में दिए बयान में उसने कहा है कि वे एक मंदिर से लौट रहे थे और जब एक नाले के पास साइकिल से उतरे, तो अभियुक्त वहां आ गए। दूसरी बात, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने कहा है कि दो अभियुक्तों ने बारी-बारी से तीन बार उसका बलात्कार किया, जबकि न्यायालय में दिए बयान में उसने कहा है कि सभी छः अभियुक्तों ने उसका दो-दो बार बलात्कार किया। तीसरा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने कहा है कि जब उसका बलात्कार हो रहा था, तो गौतम नगर से कुछ लोग आए और उन्हें देखकर सभी अभियुक्त भाग गए, जबकि न्यायालय में दिए बयान में उसने ऐसा नहीं कहा है। न्यायालय में दिए बयान में इस गवाह ने कहा है कि सभी अभियुक्त उसके और उसके पति के साथ कुछ दूर तक आए और फिर चले गए। यही हाल पीड़िता के पति संतोष (अभियोजन साक्षी क्र.-2) के बयान का भी है, जिसमें भी कई बातें पलटी और कमियां हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता ने किसी अभियुक्त का नाम नहीं लिया है, जबकि दो दिन बाद दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 161 के तहत दर्ज अपने बयान में उसने साफ-साफ कहा है कि जिन अभियुक्तों ने उसे रोका और यौन संभोग किया, वे कॉलोनी के ही थे। न्यायालय में दिए गए बयान में अभियोत्री ने कहा है कि अभियुक्त लोगों को वह घटना से पहले नहीं जानती थी और उनके नाम उसके पति संतोष ने उसे बताए थे और इसीलिए डायरी कथन दर्ज करते समय उसने उनके नाम बताए थे, जबकि अभियोत्री के पति संतोष ने कभी भी अभियुक्त लोगों के नाम बताने से इनकार किया है। अभियोत्री के पति ने अपने अपराध डायरी कथन में अभियुक्तों के नाम बताए हैं, जबकि न्यायालय कथन में उसने कहा है कि वह घटना की तारीख से पहले अभियुक्तों को नहीं जानता था। अभियोत्री और उसके पति (क्रमशः अभियोजन साक्षी क्र.-1 और अभियोजन साक्षी क्र. -2) के बयानों के अनुसार, अभियोत्री, जो उस समय 4-5 महीने की गर्भवती थी, उसके साथ छः लोगों ने एक-एक करके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बलात्कार किया और वह भी फर्श पर, उसके शरीर पर कोई बाहरी या अंदरूनी चोट न होने के कारण, जैसा कि डॉ. पी. दानी (अभियोजन साक्षी क्र.-4) ने कहा, इन गवाहों की गवाही पूरी तरह से अविश्वसनीय है। इसलिए, इन हालात में, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात, गवाहों के बयान से यह साफ़ नहीं है कि किस अभियुक्त/अपीलार्थीगण ने अभियोत्री और उसके पति को कौन सी चोट पहुंचाई थी, क्योंकि संतोष (अभियोजन साक्षी क्र.-2) के बयान के मुताबिक, उस समय अंधेरा था, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत उनकी सज़ा भी बरकरार रखने लायक नहीं है। तीसरी बात, किसी भी अभियुक्त/ अपीलार्थीगण के खिलाफ कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है क्योंकि अभियोत्री या उसके पति उन्हें जानते नहीं थे; भारतीय दंड संहिता की धारा 506-II के तहत भी उनकी सज़ा बरकरार रखना मुश्किल है। चौथी बात, क्योंकि ज़ब्ती के गवाह ने अभियोत्री के मामले को समर्थन नहीं किया है, इसलिए अभियुक्त राजेश पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत भी आरोप नहीं बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपर्युक्त विचार-विमर्श के आलोक में, यह न्यायालय इस विवेचित मत का है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दंडित करने वाला आक्षेपित निर्णय, जैसा कि उपर्युक्त उल्लेखित है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, और अतः उक्त निर्णय अपास्त किए जाने हेतु उत्तरदायी है। तदनुसार, अपीलें स्वीकृत की जाती हैं। दिनांक 14.2.2008 का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विरुद्ध आक्षेपित सभी आरोपों से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। यदि वे किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हों, तो उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए।

13. इस प्रकार अपील स्वीकार की जाती है।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Pushya Mitra Maltiar

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur